न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी राजेन्द्र कुमार डांगा आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 37/2021

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. कमा पत्नि श्री कालुराम 2. कालुराम पुत्र श्री नैनाराम 3. पुजा पुत्री श्री जीवनराम 4. भीरम पुत्री श्री जीवनराम 5. मनीराम पुत्र श्री जीवनराम 6. ललिता पुत्री श्री जीवनराम 7. श्रवणराम पुत्र श्री जीवनराम 8. सुभाष पुत्र श्री जीवनराम 9. सोवनी पत्नि श्री जीवनराम 10. हड़मान पुत्र स्वरूपराम सभी जातियान-भील निवासीगण-ग्राम सुरपुराखुर्द तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर		1. बाबुलाल पुत्र लुम्बाराम 2. श्रवणराम पुत्र लुम्बाराम जातियान-कुम्हार निवासीगण-ग्राम भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर 3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा ग्राम भंवरिया नगर, पटवार हल्का सुरपुराखुर्द, तहसील भोपालगढ के मूल खसरा संख्या 757 में तरमीम कर नये खसरा संख्या 757/1 को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया।

उपस्थितिः- 1. अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन बोराणा उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित व श्री करणसिंह राजपुरोहित उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 21.03.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट कमा पत्नि श्री कालुराम जाति भील निवासी ग्राम सुरपुराखुर्द तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर वगैरह की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत रेस्पोडेन्ट बाबुलाल पुत्र लुम्बाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम भोपालगढ, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर वगैरह के विरूद्ध तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा ग्राम भंवरिया नगर, पटवार हल्का सुरपुराखुर्द, तहसील भोपालगढ के मूल खसरा संख्या 757 में तरमीम कर नये खसरा संख्या 757/1 को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण की सामलाती कृषि भूमि ग्राम भंवरियानगर, पटवार हल्का सुरपुराखुर्द, तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर के मूल खसरा संख्या 757 में आई हुई है, जिसमें अपीलार्थीगण के नाम से खसरा नम्बर 757/1 में रकबा 2.6224 हैक्टेयर कृषि भूमि एवं प्रत्यर्थीगण के नाम से खसरा संख्या 757 में रकबा 2.7519 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अपीलार्थीगण की उक्त कृषि भूमि पर प्रत्यर्थीगण द्वारा कब्जा करने पर अपीलार्थीगण द्वारा प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का तहसीलदार भोपालगढ के समक्ष प्रस्तुत करने पर तहसीलदार भोपालगढ द्वारा प्रत्यर्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने तथा अपीलार्थीगण को वादग्रस्त कृषि भूमि सुपुर्द करने का दिनांक 29.06.2021 को निर्णय पारित किया तथा लगान व जुर्माना से आरोपित किया गया। प्रत्यर्थीगण द्वारा खसरा संख्या 757 की कुछ भूमि खरीद करने के पश्चात राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर अपीलार्थी को बिना बताए ऑनलाईन तरमीम खसरा संख्या 757 अपने खरीद भाग की तरमीम राजस्व रेकर्ड में करवा ली गई। किसी भी खसरे की तरमीम करने एवं खसरे के दो भाग करने से पूर्व सक्षम अधिकारी को सह खातेदार को सुनकर उसकी सहमति लेना आवश्यक है एवं सहखातेदार को बिना जानकारी के राजस्व रेकर्ड में तरमीम दर्ज कर एक खसरे में बट्टे नम्बर अंकित कर नया खसरा नम्बर राजस्व रेकर्ड में दर्ज करना कानूनन विधि विरूद्ध होकर प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। उक्त तथ्य की जानकारी अपीलार्थीगण को निर्णय दिनांक 29.06.2021 से तथा खसरे की नकल प्राप्त होने पर हुई। अपीलार्थीगण का खसरा संख्या 757 राजस्व रेकर्ड में पूर्व से चला आ रहा है जो वर्तमान में खसरा नम्बर 757/1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। तहसीलदार भोपालगढ द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सूचना दिये उनके खसरे की तरमीम प्रत्यर्थीगण के बताये अनुसार कर दी गई जिससे व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुने खसरा संख्या 757 में तरमीम कर अलग से खसरा संख्या 757/1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने, अपीलार्थीगण की बिना सहमति के उनके खसरे में तरमीम प्रत्यर्थीगण के बताये अनुसार की जाने, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यालय भू प्रबन्ध आयुक्त राजस्थान जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक/फा//डीआईआरएमजी/भूप्रआ/2018/5254-64 दिनांक 01.10.2018 द्वारा जारी पुनः सर्वे से संबंधित किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नियमों के अनुसार नहीं की जाने, उक्त तरमीम केवल प्रत्यर्थीगण को फायदा पहुचाने के उददेश्य से [illegible] जाने हेतु कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में नहीं छोड़ा जाने एवं अपीलार्थीगण की भूमि के खसरा संख्या 757/1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज कर पश्चिम भाग वाली यानि (पीछे/पूठ वाला भाग) कृषि [illegible] दी गई एवं रोड़ के लगते भूमि प्रत्यर्थीगण को दी जाने, आदि आधारों पर प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा ग्राम भंवरिया नगर, पटवार हल्का सुरपुराखुर्द, तहसील भोपालगढ के मूल खसरा संख्या 757 में तरमीम कर नये खसरा संख्या 757/1 को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्टस की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन बोराणा ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा ग्राम भंवरिया नगर, पटवार हल्का सुरपुराखुर्द, तहसील भोपालगढ के मूल खसरा संख्या 757 में तरमीम कर नये खसरा संख्या 757/1 को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया को निरस्त करने का निवेदन किया गया है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री मोतीसिंह राजपुरोहित ने अपनी बहस में बताया कि उक्त प्रकरण में तरमीम संबंधी आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत प्रस्तुत की जानी थी किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है इसलिए उक्त आदेश इस न्यायालय में अपील योग्य नहीं है। उक्त तरमीम पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गयी है। अत: अपील अपीलान्ट खारिज़ की जाकर तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा ग्राम भंवरिया नगर, पटवार हल्का सुरपुराखुर्द, तहसील भोपालगढ के मूल खसरा संख्या 757 में तरमीम कर नये खसरा संख्या 757/1 को राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया को यथावत रखने का निवेदन किया गया है।

हमने वकुलाय की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने व गहनता से अध्ययन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि उक्त प्रकरण में तरमीम संबंधी आदेश राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना था किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है इसलिए उक्त आदेश इस न्यायालय में अपील योग्य नहीं है। उक्त तरमीम पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गयी है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें विचार करने हेतु उचित आधार व तथ्य नहीं होने से किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अत: तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर द्वारा ग्राम भंवरियानगर के मुल खसरा संख्या 757 में तरमीम कर नये खसरा संख्या 757/1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाने के लिए दिये गये आदेश को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार भोपालगढ जिला जोधपुर को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kumar Danga
Date: 2023.08.04 16:44:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 21.03.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।